न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी:–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 32/2024 **दायर दिनांक: 17.02.2025**

उनवान

कालुसिंह पिता पर्वतसिंह जाति सौंधिया नि. देवची तहसील पिड़ावा

– प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिड़ावा

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति अभिभाषक :–

अभिभाषक प्रार्थी – श्री ईश्वरसिंह

अप्रार्थी सं. 1 – पैरोकार सरकार

आदेश **दिनांक : 30.03.2026**

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम देवची पटवार हल्का शेरपुर तहसील पिड़ावा की खाता संख्या 28 की आराजी खसरा नं. 896/125 रकबा 0.5564 है० आराजी स्थित है नकल जमाबंदी सम्वत 2074–2077 पेश है। यह कि उक्त वर्णित खसरा नं. 896/125 जो मूल खसरा नं. 125 का भाग है। प्रार्थी को उक्त आराजी पर एलोटमेन्ट से पूर्व से कब्जा खसरा नं. 125 की पूर्वी सीमा से लगा हुआ है। इसी स्थान पर प्रार्थी आज भी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी ने इस खसरा नं. 125 की पूर्वी सीमा से लगी भूमि को समतल एवं उपजाउ बनाने के लिए काफी मेहनत एवं धन राशि व्यय की है। यह कि सेक्रिकेशन के समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से प्रार्थी की खसरा नं. 896/125 को नक्शे में भूलवश खसरा नं. 125 की पूर्वी सीमा की ओर अंकित नहीं करके पश्चिम सीमा की ओर खसरा नं. 126 से लगवा अंकित कर दिया है जो गलत है तथा शुद्धी का मोहताज है। यह कि प्रार्थी आराजी खसरा नं. 125 की उत्तर–पूर्व कोने से लगी भूमि पर [illegible] होकर काश्त कर रहा है। जहां खसरा नं. 125/786 दर्ज है जो सरकारी [illegible] में दर्ज है। खसरा नं. 125 में सेक्रीकेशन के समय की गई तरमीम में भारी भी कई आपत्तियां है जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नं. 125 वर्तमान में दर्ज है उसका रकबा अधिक है जबकि नक्शे में उसे बहुत छोटा खसरा अंकित किया है नक्शा तथा जमाबंदी का रकबा मिलान नहीं हो रहा है। इसलिए तरमीम शुद्धीकरण आदेश द्वारा शुद्धी किया जाना आवश्यक है। यह कि प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होकर उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम देवची पटवार हल्का शेरपुर तह० पिड़ावा की खाता संख्या 28 की आराजी खसरा नं. 896/125 रकबा 0.5564 है0 आराजी को शुद्धीकरण आदेश द्वारा मूल खसरा नं. 125 के उत्तर पूर्व कोने पर प्रार्थी के कब्जे वाले स्थान पर अंकित किया जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। पैरोकार सरकार एवं अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि यह कि प्रार्थना पत्र चरण कमाक 1 में वर्णित आराजी मुताबिक राजस्व रिकार्ड के अनुसार सही होने से स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र चरण कमाक 2 में वर्णित तथ्य प्रार्थी स्वयं साबित करे। यह कि प्रार्थना पत्र चरण कमाक 3 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। क्योकि राजस्व कर्मचारी द्वारा कोई त्रुटी नहीं की गई है। यह कि प्रार्थना पत्र के चरण क्रमांक 4 में वर्णित तथ्य मुताबिक पटवार मण्डल शेरपुर जॉच रिर्पोट द्वारा तय किया जाना कानूनी है। यह कि प्रार्थना पत्र के चरण कमांक 6 में वर्णित तथ्य माननीय न्यायालय हाजा क्षेत्राधिकार से सम्बधित है। न्याय शुल्क या कोर्ट फीस एवं अन्दर मियाद माननीय न्यायालय को तय किया जाना है। प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष श्रीमान माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा द्वारा तय किया जाकर अग्रिम आदेश हेतु अप्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पिडावा पालनार्थ हेतु तत्पर है।

3. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम देवची की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 28 खसरा नक्शा दिनांक 09.01.2025 एवं लटठा नक्शा ट्रेस दिनांक 08.09.2025 पेश किया एवं मौखिक साक्ष्य में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

मदनसिंह पि. इन्दरसिंह व गोकुललाल पि. मांगीलाल AW-1 To Aw-2 के शपथपत्र पेश किये।

4. पेरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब के समर्थन में पटवारी हल्का शेरपुर की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 10.02.2025 की प्रति, व नामा.सं. 325 दिनांक 13.08.2002 की प्रति पेश की गई।

5. अभिभाषक प्रार्थी व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम देवची तहसील पिडावा के मूल ख.नं. 125 में से 04–09 बीघा एवं 126 में से 04–13 बीघा भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रार्थी को आवंटन किया जाकर कब्जा सौंपा गया था और तभी से वादी उसी जगह पर कब्जे काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा अपने कब्जे काश्त की आराजी को समतल व उपजाउ बनाने में काफी मेहनत और पैसा खर्च कर दिया है, लेकिन राजस्व कार्मिकों ने तहसील पिड़ावा को ऑनलाईन करते समय सेग्रीगेशन के दौरान प्रार्थी के खसरा नम्बर 896/125 की तरमीम मूल खसरा नं. 125 के उत्तर–पूर्व में करने के बजाय उत्तर–पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 126 के लगवा कर दी गई है। जहां पर कभी भी प्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं रहा है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा आगे तर्क किया कि मूल खसरा नं. 125 के लट्ठा नक्शा में कोई तरमीम नही हो रखी है। सेग्रीगेशन के दौरान बिना मौका निरीक्षण किए तरमीम कर दी गई जो कि विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। मूल खसरा नं. 125 का रकबा अधिक होने पर भी नक्शा बहुत छोटा कर दिया गया है, जबकि खसरा नं. 125/786 का रकबा कम होने पर भी नक्शा काफी बढा दिया गया है। जिससे खसरा नं. 125, 125/786 व 896/125 रकबा का मिलान नहीं हो रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरूस्ती की जावे।

6. पैरोकार सरकार द्वारा उपस्थित होकर आपनी बहस में जवाब के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 896/125 के

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

लट्ठा नक्शा के अनुसार ही रीसैटलमेंट के दौरान ऑनलाईन नक्शे में तरमीम की गई है। केवल खसरा नं. 125 व 125/786 की तरमीम लट्ठा नक्शा के अनुसार नही है। जिसे दुरूस्त किया जाने पर प्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। आगे तर्क किया कि वादग्रस्त आराजी नामांतरण संख्या 325 दिनांक 13.04.2002 को न्यायालय आदेश से प्रार्थी के खाते दर्ज हुई थी। नामांतरण पंजिका पर कोई नजरी नक्शा अंकित नहीं है। मौका स्थिति अनुसार प्रार्थी का कब्जा खसरा नं. 125/786 के स्थान पर है। जिसके अभाव में प्रार्थी का अनुतोष स्वीकार योग्य प्रतीत नही होता है।

7. अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा पेश नामांतरण संख्या 325 दिनांक 13.04.2002 के अवलोकन से जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी खाता सरकार दर्ज थी, जो न्यायालय सहायक कलेक्टर झालावाड़ की डिक्री दिनांक 22.01.2002 एवं इजराय आदेश क्रमांक 178 दिनांक 21.02.2002 की पालना में खाता सरकार से प्रार्थी के खाते दर्ज हुई थी। प्रार्थी द्वारा ना तो न्यायालय सहायक कलेक्टर झालावाड़ की डिक्री दिनांक 22.01.2002 एवं इजराय आदेश क्रमांक 178 दिनांक 21.02.2002 की कोई प्रति पेश की गई है और ना ही नामांतरण पंजिका पर कोई खसरा नक्शा बना हुआ है, जिसके अभाव में ये स्पष्ट नहीं है कि प्रार्थी को मूल खसरा नं. 125 08 बीघा 4 बिस्वा में से किस दिशा में 04 बीघा 04 बिस्वा भूमि खातेदारी दी गई थी। अतः स्पष्ट है कि प्रार्थी को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा भूमि आवंटन ना होकर न्यायालय सहायक कलक्टर झालावाड के आदेश से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे। प्रार्थी द्वारा पेश वादग्रस्त आराजी के लट्ठा नक्शा के सत्य प्रति दिनांक 12.07.2025 के अनुसार प्रार्थी के खसरा नम्बर 896/125 की तरमीम मूल खसरा नं. 125 के उत्तर–पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 126 व ख.नं. 922/896 के लगवा है। रीसैटलमेंट के बाद के आनलाईन नक्शे में भी प्रार्थी के खसरा नम्बर 896/125 की तरमीम मूल खसरा नं. 125 के उत्तर–पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 126 व ख.नं. 922/896 के लगवा है। अतः स्पष्ट है कि प्रार्थी के ख.नं. 896/125 की लट्ठा नक्शा की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

तरमीम व आनलाईन नक्शे की तरमीम में कोई भिन्नता नहीं है। प्रार्थी द्वारा पेश गवाह एडब्ल्यू 1 मदनसिंह व एडब्ल्यू 2 गोकुललाल के अनुसार प्रार्थी मूल ख.नं. 125 की उत्तर पूर्व दिशा में हाल ख.नं. 125/786 के स्थान पर काबिज काश्त है लेकिन प्रार्थी उक्त स्थान पर किस प्राधिकारी के आदेश से काबिज काश्त है, का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा राजस्व विभाग द्वारा जारी कोई दखलनामें की प्रति भी पेश नहीं की है जिससे यह माना जावेगा कि प्रार्थी **बिना किसी सक्षम आदेश के अपनी इच्छा से ख.नं. 125/786 पर काबिज काश्त है।** अतः सेग्रिगेशन के दौरान ख.नं. 896/125 की तरमीम में कोई त्रुटी होना साबित नहीं है।

8. ग्राम देवची के हाल ख.नं. 125 एवं ख.नं. 125/786 के लटठा नक्शा एवं आनलाईन नक्शा तथा जमाबंदी में दर्ज रकबे के अवलोकन से स्पष्ट है कि मूल खसरा नं. 125 का रकबा अधिक होने पर भी नक्शा बहुत छोटा कर दिया गया है, जबकि खसरा नं. 125/786 का रकबा कम होने पर भी नक्शा काफी बढा दिया गया है जो दुरूस्त योग्य है।

9. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128, 131, व 136 के अनुसार भू–सर्वे एवं रिकार्ड ऑपरेशन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद नक्शे एवं फिल्ड बुक में किसी गांव या गांव के हिस्से की सीमाओं, ऐस्टेट या फिल्ड/खसरे की सीमाओं में ज्ञात होने वाली किसी त्रृटि को या राजस्व रिकार्ड के निरीक्षण के दौरान ज्ञात किसी भी प्रकार की त्रृटि को लेण्ड रिकार्ड ऑफिसर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत दुरूस्त किया जाता सकता है और ऐसे प्रत्येक परिवर्तन का इन्द्राज वार्षिक रजिस्टर में किया जावेगा। राजस्व रिकार्ड में भू प्रबन्धन एवं सर्वे की कार्यवाही के दौरान, सेग्रीगेशन के दौरान, नामा0 तस्दीक करते समय, फर्द–बदर/चौसाला तैयार करते समय राजस्व कार्मिकों द्वारा मूल प्रविष्टि में की गई लिपिकीय त्रृटि या [illegible] भू अभिलेख अधिकारी को ज्ञात त्रृटि को धारा [illegible] अधीन भू अभिलेख अधिकारी द्वारा दुरूस्त किया जा सकता [illegible] ग्राम देवची के मूल ख.नं. 125 में से आवंटन/खातेदारी अधिकारी प्र[illegible] किये जाने के बाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

शेष हाल ख.नं. 125 व 125/786 के राजस्व नक्शे में लटठा नक्शा से भिन्न त्रुटीपूर्ण तरमीम की गई जिसे धारा 131 एलआरएक्ट के अधीन दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। धारा 131 एलआरएक्ट के प्रावधान निम्नानुसार है :–

131. Maintenance of Map and Field Book – After the survey and record operations are over, the map and the field book shall be maintained by the Land Records Officer, in accordance with the rules made by the State Government in that behalf and he shall cause, annually or at such longer intervals as the State Government may prescribe, to be recorded therein all changes in the boundaries of each village or portion of a village, estate or field and shall correct any errors which are shown to have been made in such map or field book.

10. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम देवची तहसील पिडावा की कृषि आराजी ख.नं. 896/125 एवं 125 के संबंध में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

11. परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एल.आर. एक्ट बावत दुरूस्ती तरमीम आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम देवची तहसील पिडावा की कृषि आराजी ख.न. 125 व 125/786 के आनलाईन राजस्व नक्शे में लटठा नक्शा के अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व नक्शा में दुरूस्ती करे। यह निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/3/26

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:56 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीना, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ राज0.

Scanned with OKEN Scanner